स्वामी केशवानन्द
राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ।

दिनांक 15.12.2010 को प्रातः 11.00 बजे सभागार कुलपति सचिवालय, प्रशासनिक कार्यालय, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर में आयोजित प्रबंध मण्डल की 79वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–

निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1.	श्री सूरजमल मीणा, आई.ए.एस. कुलपति एवं संभागीय आयुक्त, बीकानेर	**अध्यक्ष**
2.	श्री संतोष कुमार सहारण, माननीय विधायक	सदस्य
3.	डॉ. एम.एस. राठौड़	सदस्य
4.	डॉ. रामदेव	सदस्य
5.	श्री परता राम सियाग	सदस्य
6.	डॉ. एम.पी. साहू	सदस्य
7.	डॉ. जी.एल. केशवा	सदस्य
8.	डॉ. जी.एन. परिहार	सदस्य
9.	डॉ. जी.एन. माथुर	सदस्य
10.	डॉ. अजीत सिंह शेखावत	सदस्य
11.	डॉ. आई.जे. गुलाटी	सदस्य
12.	श्री रामदेव गोयल, कुल सचिव	**सदस्य सचिव**

आमंत्रित सदस्य :–

श्री जगदीश प्रसाद स्वामी, वित्त नियंत्रक

प्रमुख शासन सचिव, कृषि, उच्च शिक्षा, सचिव पशुपालन, निदेशक कृषि, डॉ मनिन्द्रा कपूर व डॉ0 टी.ए.मोरे प्रबन्ध मण्डल की बैठक में भाग नही ले सकें ।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपति महोदय ने नये मनोनीत सदस्यों श्री संतोष कुमार सहारण, विधायक, डॉ जी.एन.माथुर व अन्य सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया एवं डॉ गोविन्द सिंह के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की गई ।

एसकेराकृवि / बोम–79/2010-3/1145	**78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।

एसकेराकृवि / बोम–79/2010-3/1146	**78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 31.07.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही बाबत ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि 78वीं प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनॉक 31.7.2010 के कार्यवाही विवरण पर की गई कार्यवाही की पुष्टि निम्न के साथ की जाती हैं :– **एसकेराकृवि / बोम–78/2010-2/1139** कैरियर एडवान्समेंट योजना के अन्तर्गत सहायक आचार्य वरिष्ठ वेतनमान से सहायक आचार्य चयनित ग्रेड में पदौन्नति बाबत् प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित (Resolved) किया गया कि प्रकरण को राज्यसरकार से अनुमति / स्वीकृति प्राप्त कर जल्द से जल्द कार्यवाही नियमानुसार की जाए । **एसकेराकृवि / बोम–78/2010-2/1143** 1. विश्वविद्यालय मे नवनिर्मित किसानघर का नाम रखते बाबत् विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित (Resolved) किया गया कि नवनिर्मित किसानघर का नाम पूर्व विधायक स्वर्गीय भीमसेन चौधरी के नाम पर किया जावें । 2. महान विचारक तथा शिक्षाविद् स्वामी केशवानन्द के नाम पर विशिष्ठ योग्यता प्राप्त कृषि स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्ति शुरू करने बाबत् बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट शीध्र पेश करने तथा स्वामी केशवानन्द के जीवन परिचय एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु ट्रस्ट से निवेदन किया जाए। 3. सहायक प्राध्यापकों को सह प्राध्यापक का पदनाम देने बाबत् विस्तृत विचार विमर्श हुआ और यह पारित किया गया कि आईसीआर के दिशा निर्देशों का परीक्षण कर एक माह में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
एसकेराकृवि / बोम–79/2010-3/1147	**विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 14.12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने बाबत्।** यह पारित (Resolved) किया गया कि वित्त समिति की बैठक दिनॉक 14. 12.2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की जाती हैं ।
एसकेराकृवि / बोम–79/2010-3/1148	**विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2010-11 संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 एवं बैलेंस सीट वर्ष 2008-09 की पुष्टि करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि विश्वविद्यालय का आय व्यय अनुमान वर्ष 2010-11 संशोधित अनुमान वर्ष 2009-10 एवं बैलेंस सीट वर्ष 2008-09 की पुष्टि की जाती हैं ।
एसकेराकृवि / बोम–79/2010-3/1149	**विश्वविद्यालय में पेंशन फण्ड के गठन करने बाबत् ।** श्री जगदीश स्वामी, वित्त नियत्रंक एवं आमंत्रित सदस्य ने सदन को अवगत कराया कि पूर्व में पेंशन फण्ड का अलग से खाता नहीं खोले जाने के कारण कर्मचारियों के भविष्य निधि का भी करीब 60 करोड रूपया पेंशन भुगतान में खर्च हो गया हैं जो कि राज्यसरकार से पुर्नभरण होना हैं । सभी माननीय सदस्यों ने 60 करोड रूपये राज्यसरकार से पुर्नभरण करने के लिये सर्वसम्मित से सामूहिक प्रयास किये जाने पर सहमत हुए साथ ही यह पारित (Resolved) किया गया कि पेंशन फण्ड का खाता अलग से खोला जाए और मासिक वेतन में से की जाने कटौतियों से विश्वविद्यालय अंशदान की राशि को विश्वविद्यालय पेंशन फण्ड में एवं कर्मचारियों के स्वयं के अंशदान को भविष्य निधि खाते में जमा की जाए व कर्मचारियों के भविष्य निधि राशि से पेंशन का भुगतान न हों ।

एसकेराकृवि / बोम– 79/2010-3/1150	**उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. / 7(2) डीओपी / ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 में उल्लेखित केवल संशोधित अनुसूची-I के बिन्दु 4(i) जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता में परिवर्तन किया गया है को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर शैक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के SCHEDULE"A" में उल्लेखित वर्तमान कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता के स्थान पर अंगीकृत (Adopt) करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि उप शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. / 7(2) डीओपी / ए-II/2006 दिनांक 05.07.2010 में उल्लेखित केवल संशोधित अनुसूची-I के बिन्दु 4(i) जिसके अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता में परिवर्तन किया गया है को स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर शैक्षणेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम के SCHEDULE"A" में उल्लेखित वर्तमान कनिष्ठ लिपिक पद की योग्यता के स्थान पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में अंगीकार किये जाते हैं ।
एसकेराकृवि / बोम– 79/2010-3/1151	**श्री जय शर्मा पुत्र स्व. श्री ललित नारायण शर्मा को मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों में (प्रकरण देरी से प्राप्त होने के कारण) शिथिलता प्रदान करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि श्री जय शर्मा पुत्र स्व0 श्री ललित नारायण शर्मा को मृतक आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियमों में प्रकरण देरी से प्राप्त होने के कारण शिथिलता प्रदान की जाती हैं।
एसकेराकृवि / बोम– 79/2010-3/1152	**विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ. 27(12) आरबी / 2010/6165 दिनांक 16.11.2010 जिसमें विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 1(1)(ए) के अंतर्गत नियमित कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल द्वारा एक सदस्य का नामांकन किए जाने बाबत् ।** प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से यह पारित (Resolved) किया गया कि डा0 ए.एस.फरौदा, तत्कालीन कुलपति, एमपीयूएटी, उदयपुर को कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध मण्डल के सदस्य के रूप में नामांकित किया जाता हैं ।
एसकेराकृवि / बोम– 79/2010-3/1153	**स्वामी केशवानन्द स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया, हनुमानगढ के अध्यक्ष जस्टिस जगतसिंह के पत्र दिनॉक 21.9.2010 द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी केशवानन्दजी की सर्वधातु आदम कद 5 फुट 8 इंच प्रतिमा लगवाने के प्रस्ताव पर विचार करने बाबत् ।** यह पारित (Resolved) किया गया कि स्वामी केशवानन्द जी की आदम कद 5 फुट 8 इंच की सर्वधातु मूर्ति विश्वविद्यालय परिसर में लगाये जाने की पुष्टि की जाती हैं ।